न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/148/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांक: 2022/451

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री लोकेश कुमार अवस्थी, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य, सी–77, रणजीत नगर, अलवर (राज.)		(1) राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी व भूमि अवाप्ति अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), अलवर (2) तहसीलदार लक्ष्मणगढ (अलवर)

प्रवेश तिथि :: 13.10.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 28.11.2022

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांक: 25.08.2022 के माध्यम से उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर खसरा नंबर 1983 गैर खातेदार एवं सं. 2010, 2012,2013 से दिल्ली–मुम्बई राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु अधिगृहित आवेदक के हिस्से की भूमि की जानकारी एवं अधिगृहित जमीन का मुआवजा राशि संबंधी बिन्दुवार सूचना/प्रमाणित प्रति चाही गई थी।
4. पत्रावली के अवलोकनानुसार उक्त सूचना आवेदन दिनांक: 25.08.2022, उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ द्वारा पत्रांक: आर.टी.आई./अन्तरण/2022/1762–63 दिनांक: 31.08.2022 के माध्यम से तहसीलदार लक्ष्मणगढ को अन्तरित किया गया, तहसीलदार लक्ष्मणगढ द्वारा पत्रांक: आर.टी.आई./प्रार्थना–पत्र–26/अन्तरण/22/117–119 दिनांक: 06.09.22 के माध्यम से सूचना आवेदन दिनांक: 25.08.2022 के बिन्दु सं. 01 व 02 के संबंध में प्रत्यर्थी कार्यालय को अन्तरित किया गया।
5. अपीलार्थी के आक्षेप/कथनानुसार प्रत्यर्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) में विहित समयावधि में अपीलार्थी को किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने अथवा किसी प्रकार के विनिश्चय से अवगत नहीं कराये जाने के कारण पत्र दिनांक: 10.10.2022 के माध्यम से सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु इस न्यायालय को प्रथम अपील संस्थित कराई गई है।
6. उक्त प्रथम अपील के अनुक्रम में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया। प्रत्यर्थी की ओर से प्रश्नगत सूचना के संबंध में 11 पृष्ठीय सूचना अपीलार्थी को प्रेषित करते हुए पत्र सं. प.12–1(12)राजस्व/2018/भूमि अवाप्ति/20540–20541 दिनांक: 03.11.22 के माध्यम से प्रति इस न्यायालय कों पृष्ठांकित की गई है।
7. अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांक: 25.08.2022, प्रथम अपील दिनांक: 10.10.2022 एवं प्रत्यर्थी की ओर से प्राप्त जवाब नोटिस का परीक्षण किया गया।
8. प्रत्यर्थी द्वारा सूचना आवेदन दिनांक: 25.08.2022 के बिन्दु सं.01 व 02 के संबंध में पत्र सं. प. 12–1(12)राजस्व/2018/भूमि अवाप्ति/20540–20541 दिनांक: 03.11.22 के माध्यम से सूचना प्रेषित की जा चुकी है। शेष बिन्दु सं. 03 के संबंध में तहसीलदार लक्ष्मणगढ द्वारा पत्रांक: आर.टी.आई./प्रार्थना–पत्र–26/अन्तरण/22/117–119 दिनांक: 06.09.22 के माध्यम से वांछित सूचना वर्तमान जमाबंदी की नकल ऑनलाईन प्राप्त करने बाबत सूचित किया जा चुका है।
9. अतः उक्त आलोक में प्रत्यर्थी द्वारा, अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना प्रेषित कर दिए जाने के कारण **अपील खारिज की जाकर निस्तारित** की जाती है।
10. निर्णय की प्रति उभय पक्ष के साथ–साथ तहसीलदार लक्ष्मणगढ को भी प्रेषित हो।
11. आज दिनांक: 28.11.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर (राज.)